दिनांक 24.01.2018 एवं 25.01.2018 को उप विकास आयुक्त, गिरिडीह की अध्यक्षता में मनरेगा अन्तर्गत सामग्री आपूर्तिकर्त्ता के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति पंजीकृत -

उप विकास आयुक्त, गिरिडीह के द्वारा बैठक में उपस्थित सहायक खनन पदाधिकारी, वाणिज्य कर उपायुक्त, परियोजना पदाधिकारी, डी0आर0डी0ए0, प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता एवं सभी आपूर्तिकर्त्ता का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई -

बिक्री कर

बिक्री कर की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अधिकांश आपूर्तिकर्त्ताओं के द्वारा बिक्री कर की कटौती की राशि संबंधित विभाग में जमा नहीं की जा रही है। इस संबंध में वाणिज्य कर उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि GST लागू होने के पूर्व के योजनाओं के बिक्री कर की कटौती की राशि TIN Number के द्वारा एवं 01 जुलाई,2017 के बाद की योजना की बिकी कर कटौती की राशि GST Number के द्वारा भेण्डर जमा करेंगे। आपूर्तिकर्त्ताओं को GST मे पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया। यह भी निदेश दिया गया कि GST मे बिकी कर ससमय नहीं जमा करने पर कड़ी कार्रवाई एवं जुर्माना का प्रावधान है, अतः नियत समय पर बिकी कर जमा किया जाय। भेण्डरो को यह भी निदेश दिया गया कि बिक्री कर शून्य होने की स्थिति मे भी अपना GST Return समय पर अवश्य जमा करे।

रॉयल्टी

रॉयल्टी की समीक्षा के क्रम में सहायक खनन पदाधिकारी द्वारा लघु खनिजों की रॉयल्टी की विभिन्न दरो के बारे मे बताया गया। भेण्डरों को यह निदेश दिया गया कि वे सामग्री क्रय करते समय चालान अवश्य ले अन्यथा उन्हे दुगुनी दर से रॉयल्टी देनी पड़ेगी। रॉयल्टी जमा करने की Online प्रक्रिया के बारे में Flow Chart एवं Power Point Presentation के द्वारा भेण्डरो को विस्तार से समझाया गया।

- भेण्डरो के दस्तावेज के जॉच के बाद उप विकास आयुक्त के द्वारा निदेश दिया गया कि दो दिनो के अंदर संबंधित भेण्डर बिक्री कर एवं रॉयल्टी की राशि संबंधित विभाग मे जमा करा दे अन्यथा उनका पंजीकरण रद्द करते हुऐ उनपर प्राथमिकी दर्ज कराई जायेगी। सहायक अभियंता भेण्डरों के प्रतिष्ठान, उपलब्ध सामग्री की मात्रा एवं दर की जॉच कर प्रतिवेदन देंगे।
- प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे संबंधित भेण्डरों का रॉयल्टी, सेल टैक्स की कटौती से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में भर कर एवं आवश्यक दस्तावेज यथा पंजीकरण प्रमाण पत्र, टैक्स कटौती की प्रति, टैक्स जमा की रसीद/चालान की प्रति, माईनिंग चालान की प्रति, अद्यतन रिर्टन

फाईल की प्रति, पास बुक की प्रति, बैंक स्टेटमेन्ट, खादान/किसान का सहमति पत्र, कार्यादेश की प्रति, चयनित समिति की प्रति, माल ढुलाई के लिये निजी गाड़ी की प्रति, उद्योग विभाग के द्वारा निर्गत ईंट निर्माण या आपूर्ति संबंधी निबंधन प्रमाण पत्र, साईन बोर्ड आपूर्ति हेतु निबंधन प्रमाण पत्र आदि संलग्न कर दिनांक 31.01.18 तक उपलब्ध करायें। प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी प्रत्येक माह के अंतिम तारीख को सामग्री आपूर्तिकर्त्तावार प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में सधन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

Sd/- 30/01/18
परियोजना पदाधिकारी,
डी०आर०डी०ए०,
गिरिडीह।

Sd/- 30/01/18
निदेशक,
डी०आर०डी०ए०,
गिरिडीह।

Sd/-
उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गिरिडीह।

ज्ञापांक 218 **/अभि०,गिरिडीह, दिनांक** 01 फरवरी **~~जनवरी~~, 2018**

प्रतिलिपिः- संबंधित सहायक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि सभी प्रखण्डों से संबंधित मामलों का अनुपालन प्रखण्डवार अनुपालित कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी कार्यपालक अभियंता, गिरिडीह/जिला अभियंता, जिला परिषद्, गिरिडीह को अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि बैठक की कार्यवाही को जिले की वेवसाईट में Upload करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रखण्ड के सभी वरीय पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/- 30/01/18
परियोजना पदाधिकारी,
डी०आर०डी०ए०,
गिरिडीह।

Sd/- 30/01/18
निदेशक,
डी०आर०डी०ए०,
गिरिडीह।

Sd/-
उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गिरिडीह।